संख्या-02/2020/4190/71-2-2020-पी-35/2012

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 01 जनवरी, 2021

विषयः- संस्थान परिसर में मैरिड डाक्टर हास्टल-200 नग के निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित लागत रू0 5474.67 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-85/2012/475/ 2020, दिनांक 04-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान परिसर में मैरिड डाक्टर हास्टल-200 नग के निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित लागत रू0 5474.67 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि रू0 3,30,39,858.57 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- संस्थान परिसर में मैरिड डाक्टर हास्टल-200 नग के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 10-09-2015 द्वारा रू0 4131.00 लाख की मूल स्वीकृति एवं शासनादेश दिनांक 22-11-2019 द्वारा रू0 5474.67 लाख + (जी0एस0टी0 नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष विभिन्न शसनादेशों के माध्यम से कुल रू0 5200.49 लाख (95 प्रतिशत) की धनराशि अवमुकत की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में मैरिड डाक्टर हास्टल-200 नग के निर्माण कार्यो हेतु जी0एस0टी0 मद में वास्तविक व्यय की गयी धनराशि रू0 3,30,39,858.00 (रू0 तीन करोड तीस लाख उन्तालिस हजार आठ सौ अठावन रूपये मात्र) निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0/ वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा प्रश्नगत प्रायोजना के अंतर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि जमा/भुगतान करने के पश्चात प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. वित्त नियंत्रक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य के अंतर्गत कोई अन्य कर नहीं दिया गया है एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है तो उसे राजकोष में जमा कराने की जिम्मेदारी वित्त नियंत्रक की होगी।
3. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231 /2020 दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस- 2020-231/2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 शा0 संख्या-5/2020/बी-1-196 /दस-2020-231/2020 दिनांक 11 अप्रैल, 2020 शा0 संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29.09.2020 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पूर्व निर्गत शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनांक 29-09-2020 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-02/2020/4190(1)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in